F.No.31-2/2017-Grants
Government of India
Ministry of Culture
National Archives of India
Janpath,New Delhi-110 001
email-archives@nic.in

The 15 JUN 2017

MEMORANDUM

In supersession of this Department's Memorandum No.F.31-2/2015-Grants dated 20 April, 2015, for the Scheme of Financial Assistance to States/ Union Territories Archival Repositories, Government Libraries and Museums, the Grants Committee is hereby re-constituted for two financial years i.e. 2017-2018 and 2018-2019 which will consist of the following members:-

1. Director General of Archives, National Archives of India Janpth, New Delhi-110 001 Chairperson

Director
 A&A,
 Ministry of Culture
 Shastri Bhawan
 New Delhi-110 001.

Member

Shri Pratapanand Jha,
 Director,
 Cultural Informatics,
 Indira Gandhi National Centre for Arts
 Mansingh Road
 New Delhi 110 001

Member

4. Dr. Shama Mitra Chenoy Associate Professor, Department of History, Shivaji College, University of Delhi, Raja Garden, New Delhi-110 027 Member

Sh. Prem Kumar Nagta,
 Director,
 (Collections and Administration)
 National Museum,
 Janpath,
 New Delhi-110 001

Member

6. Dr. Anand Burdhan
Assistant Professor,
Delhi Institute of Heritage Research
and Management,
18-A, Satsang Vihar Marg,
Qutab Institutional Area,
New Delhi-110 067

Member

7. Dr. Jyotsna Arora,
Deputy Director (Library),
Indian Council of Historical Research
35 Ferozeshah Road, New Delhi-110001

Member

8. Sh. Arun Kumar Srivastava,
Assistant Director of Archives (Retired),
B-8, Pocket-6, Kendriya Vihar,
Sector-82,
Noida-201304
Uttar Pradesh

Member

9. Director,
Kerala State Archives,
(Government of Kerala)
Nalanda,
Thiruvananthapuram-695003
Kerala

Member

Director,
 Department of Archives,
 (Government of Maharashtra),
 Elphinstone College Building,
 M.G. Road, Kalaghoda Fort,
 Mumbai-400 032
 Maharashtra

Member

Director,
Department of Language & Culture,
(State Archives),
Government of Himachal Pradesh,
Shimla-171 009
Himachal Pradesh

Member

12. Director,
Art and Culture,
Nagaland State Archives,
Govt. of Nagaland,
Bayavo Hill,
Kohima-797 001
Nagaland

Member

13. Director,
West Bengal State Archives,
(Government of West Bengal),
6, Bhawani Dutta Lane,
(Shakespere Sarani),
Kolkata-700003
West Bengal

Member

14. Deputy Director of Archives National Archives of India Janpath New Delhi-110 001. Member Secretary

Besides, the Chairperson, Grants Committee, may invite expert (s)/professional(s) to attend meeting(s) of the Grants Committee, and/or to tender advice to the Grants Committee.

In case of unavoidable/unforeseen circumstances, an official member may depute his representative to attend meetings of the Grants Committee under prior intimation to the Member-Secretary of the Grants Committee.

II. TENURE:

The Grants Committee is re-constituted for two financial years i.e. 2017-18 and 2018-19. The term of the Grants Committee will expire on 31 March, 2019. The Members will also be eligible for reappointment.

III. SECRETARIAT

The Secretariat of the Committee will be at the National Archives of India, Janpath, New Delhi-110 001.

IV. MEETINGS:

The Committee shall ordinarily meet at least once in a financial year depending upon the number of applications received and availability of funds.

V. TERMS OF REFERENCE:

The scope of the Committee's activities shall be the following:

To act as a forum to scrutinize all applications/ proposals received under the scheme from Archival Repositories, Libraries and Museums of State/UT Administrations who will submit their application/proposal recommended/approved by the State Level Screening Committee (SLSC) to the Chairperson, Grants Committee, National Archives of India, Janpath, New Delhi-110 001. Where there is no SLSC, the application should be recommended/approved by the Secretary of the Controlling/Administrative department of the respective State Government/UT Administration. The Committee will recommend specific amount of grant to be released for the execution of the proposal.

VI. ALLOWANCES:

Members of the Committee will be entitled to draw TA/DA for attending the meetings of the Committee as admissible under the rules. All the special invitees will be entitled to TA/DA etc. at par with the members of the Grants Committee.

(Dr. M.A. Haque) Deputy Director of Archives and member Secretary Government of India

To,

All Members of the Grants Committee with a copy of the Scheme.

मि. संख्या. 31-2/2017- अनुदान भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय अभिलेखागार जनपथ, नई दिल्ली- 110 001 ईमेल :archives@nic.in

दिनांक **3** 5 JUN 2017

ज्ञापन

पूर्व ज्ञापन सं.31-2/2015-अनुदान दिनांक 20 अप्रैल, 2015 का अधिक्रमण करते हुए राज्य/संघ शासित, क्षेत्र अभिलेखीय भंडारणों, सरकारी पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों के लिए वित्तीय सहायता योजना हेतु अनुदान सिमिति का एतद्वारा दो वित्तीय वर्षा अर्थात 2017-2018 और 2018-2019 के लिए पुर्नगठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगे:-

 अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार जनपथ नई दिल्ली-110 001

अध्यक्ष

निदेशक,
 ए एण्ड ए
 संस्कृति मंत्रालय,
 शास्त्री भवन,
 नई दिल्ली-110 001

सदस्य

 श्री प्रतापानन्द झा, निदेशक, सांस्कृतिक सांयन्त्रिक संचार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, 11 मानसिंह रोड, नई दिल्ली- 110 001 सदस्य

 डा. शमा मित्रा चिनाय, एसोसियेट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, शिवाजी कालेज, दिल्ली विश्वविघालय, राजा गार्डन नई दिल्ली-110 027 सदस्य

 श्री प्रेम कुमार नागटा, निदेशक,(कलेक्शनस एंड एडमिनिस्ट्रेशन) राष्ट्रीय संग्रहालय जनपथ, नई दिल्ली-110 001

सदस्य

डा. आनन्द बर्धन
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट
18-ए सतसंग विहार मार्ग,
कुतब इस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली-110067

सदस्य

7. डा. जयोत्सना अरोरा, उप-निदेशक (पुस्तकालय) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110 001

सदस्य

 डा. अरूण कुमार श्रीवास्तव , सहायक अभिलेख निदेशक (सेवानिवृत) बी-8 पोकैट-6, केन्द्रीय विहार, सै.-82, नौएडा-201304 उत्तर प्रदेश।

सदस्य

निदेशक
 केरल राज्य अभिलेखागार,
 केरल सरकार,
 नालंदा
 तिरुवन्नतपुरम-695 003
 केरल

सदस्य

10. निदेशक
डिपार्टमैंट आफॅ आरकाईव्ज,
महाराष्ट्र सरकार,
एलफिन्सटन कालेज बिल्डिंग,
एम.जी. रोड, कालाघोडा फोर्ट,
मुम्बई- 400 032
महाराष्ट्र

सदस्य

11. निदेशक , भाषा एवं संस्कृति विभाग, राज्य अभिलेखागार, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला- 171 009 हिमाचल प्रदेश

सदस्य

12. निदेशक,
कला एवं संस्कृति,
नागालैंड राज्य अभिलेखागार,
नागालैंड सरकार,
बयावो हिल,
कोहिमा- 797 001
नागालैंड

सदस्य

13. निदेशक,

पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार, (पश्चिम बंगाल सरकार), 6, भवानी दत्ता लेन, (शेक्सपियर सरनी) कोलकता- 700 003 पश्चिम बंगाल सदस्य

14. अभिलेख उपनिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार जनपथ नई दिल्ली-110 001 सदस्य सचिव

इसके अलावा, अध्यक्षा, अनुदान समिति किसी विशेषज्ञ/विषय के जानकार को अनुदान समिति की बैठक में भाग लेने और/या अनुदान समिति को सलाह देने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

अपरिहार्य/अनपेक्षित परिस्थितियों में कोई भी सदस्य अनुदान समिति के सदस्य सचिव को पूर्व सूचना देकर अपने प्रतिनिधि को अनुदान समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।

- 2. <u>कार्यकाल</u>-अनुदान समिति का पुर्न गठन दो वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात 2017-2018 और 2018-19 के लिए किया जाता है। अनुदान समिति की अविध 31 मार्च 2019 को समाप्त हो जाएगी। सदस्य पुन: नियुक्त किए जाने के भी पात्र होगे।
- 3. कार्यालय- समिति का सचिवालय राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110 001 में होगा।
- 4. <u>बैठकें-</u> अनुदान की उपलब्धता तथा प्राप्त आवेदनों को ध्यान में रखते हुए एक वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की साधारणतया कम से कम एक बैठक होगी।
- 5. विचारार्थ विषय- समिति की गतिविधियों का कार्यक्षेत्र इस प्रकार होगा।

विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखीय भंडारणों, पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों द्वारा योजना के अन्तर्गत भेजे गये प्रार्थना पत्रों/प्रस्तावों को जो राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति (एस.एल.एस.सी) द्वारा सिफारिश/अनुमोदित किए गए हों और अध्यक्ष, अनुदान समिति, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110 001 को प्राप्त हुए हों ,की छानबीन के लिए समिति फोरम की तरह कार्य करेगी। जहां संवीक्षा समिति नहीं है, उस मामले में आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के नियंत्रक/प्रशासनिक विभाग के सचिव द्वारा सिफारिश/अनुमोदित किया गया हो। समिति प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए जारी किए जाने वाले अनुदान की निश्चित राशि की सिफारिश करेगी।

6. <u>भत्ते -</u> समिति के सदस्यों को नियमानुसार समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता दिया जायेगा। सभी विशेष आमंत्रित, अनुदान समिति के सदस्यों के समान ही टीए/डीए आदि के हकदार होंगे।

> (डा.एम.ए. हक) अभिलेख उप-निदेशक एवं सदस्य सचिव भारत सरकार।

अनुदान समिति के सभी सदस्यों को योजना की एक प्रति सहित प्रेषित।